निवेशों के संवर्धन और संरक्षण
हेतु
भारत गणराज्य की सरकार
तथा
संयुक्त अरब अमीरात की सरकार
के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अधिक निवेश अभिप्रेरित करने की अनुकूल स्थितियां सृजित करने की इच्छा रखते हुए;

यह स्वीकारते हुए कि मेज़बान संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार किए गए ऐसे निवेश का प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण व्यक्तिगत व्यापारिक पहल की प्रेरणा में मददगार सिद्ध होगा तथा इससे दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी;

निम्न रूप में सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ :-

1. "निवेश" का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्ति, जो एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में निवेशित की गई हो जो उस संविदाकारी पक्ष जिसके राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, के कानूनों और विनियमों के अनुसार निवेशित की गई हो, जिसमें विशेष रूप से, यद्यपि एकमात्र नहीं, निम्नलिखित शामिल होंगे :
   (i) चल और अचल संपत्ति तथा अन्य संपत्ति अधिकार जैसे बंधक-पत्र, ग्रहणाधिकार अथवा गिरवी रखना अथवा भोगाधिकार;
   (ii) किसी कंपनी में शेयर, स्टॉक, बांड और डिबेंचर व कंपनी में भागीदारी के अन्य समान रूप और एक संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां, ऋण और कर्ज तथा पुनर्निवेश हेतु रखा गया प्रतिलाभ;

(iii) वित्तीय या आर्थिक मूल्य वाली संविदा के अन्तर्गत धन अथवा किसी कार्य-निष्पादन के अधिकार या दावे;

(iv) संबंधित संविदाकारी पक्षों के संगत कानूनों के अनुसार बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सदभाव, तकनीकी प्रक्रियाएं, जानकारी, प्रति-लिप्याधिकार, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और पेटेंट;

(v) कानून अथवा कानून के अनुसरण में किसी लाइसेंस या परमिट द्वारा प्रदत्त अधिकार, जिसमें हाइड्रोकार्बन के संबंध में प्रदत्त अधिकार शामिल नहीं हैं।

जिस रूप में परिसंपत्तियों का निवेश या पुनर्निवेश किया गया है, उसमें हुए किसी परिवर्तन से निवेश के रूप में उनका स्वरूप प्रभावित नहीं होगा।

2. "निवेशक" का अर्थ है संविदाकारी पक्ष का कोई राष्ट्रिक, कंपनी या सरकार।

3. "राष्ट्रिक" का अर्थ है प्रयोज्य कानून के अनुसार संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीयता रखने वाला देशजात व्यक्ति।

4. "प्रतिलाभ" का अर्थ है किसी निवेश द्वारा अर्जित मौद्रिक राशियां जैसे लाभ, ब्याज,पूंजी लाभ, लाभांश, रायल्टियां, प्रबंधन एवं तकनीकी शुल्क।

5. "राज्यक्षेत्र" का अर्थ है:

(i) भारत के संबंध में : भारत गणराज्य का राज्यक्षेत्र जिसमें इसका सीमांतर्गत जलक्षेत्र और इसके ऊपर का वायुक्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय तट हैं, जिस पर भारत गणराज्य का अपने प्रवृत्त कानूनों, समुद्र संबंधी कानून पर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के अभिसमय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता, प्रभुसत्तात्मक अधिकार अथवा विशिष्ट क्षेत्राधिकार हो;

(ii) संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में : संयुक्त अरब अमीरात का राज्यक्षेत्र, इसका सीमांतर्गत जल क्षेत्र, वायु क्षेत्र और समुद्र से नीचे का क्षेत्र जिन पर संयुक्त अरब अमीरात का अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त अरब अमीरात के कानून के अनुसार प्रभुसत्तात्मक अधिकार हैं, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अथवा दोहन से जुड़े किसी कार्यकलाप के संबंध में इसके अधिकार-क्षेत्र में शामिल विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुख्यभूमि तथा द्वीप शामिल है;

6. "मुक्त रूप से उपयोज्य मुद्रा" का अर्थ है कोई भी ऐसी मुद्रा जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन करने के लिए भुगतान हेतु इस्तेमाल किया जाता हो और जिसका मुख्य मुद्रा बाजारों में व्यापक तौर पर लेन-देन होता हो;

7. "कंपनी" का अर्थ है :

(क) भारत के संबंध में : भारत के किसी भी भाग में प्रवृत्त कानून के अंतर्गत निगमित अथवा गठित या स्थापित निगम, फर्म और एसोसिएशन;

(ख) संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में : कोई भी विधिक व्यक्ति अथवा अन्य निकाय जो संयुक्त अरब अमीरात और इसकी स्थानीय सरकार के कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कानूनन गठित किया गया है जैसे कि संस्थाएं, विकास निधियां, प्राधिकरण, फाउंडेशन, स्थापनाएं, अभिकरण, उद्यम, सहकारिताएं, भागीदारी, निगम, कंपनियां, फर्में, संगठन और कारोबारी एसोसिएशन या इसी प्रकार के निकाय, भले ही उनकी देयताएं सीमित अथवा अन्यथा हों।

8. "उपाय" का अर्थ है किसी कानून, नियम या विनियम के तहत अथवा निवेश पर प्रत्यक्षत: लागू संविदाकारी पक्ष द्वारा की गई कोई बाध्यकारी कार्रवाई।

अनुच्छेद 2
करार का कार्यक्षेत्र

1. यह करार दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किए गए सभी निवेशों पर लागू होगा, चाहे वे इस करार के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किए गए हों, लेकिन निवेश पर लागू किसी उपाय से उठे ऐसे किसी भी विवाद पर प्रयोज्य नहीं होगा, जो इसके प्रवृत्त होने से पूर्व उठा हो।

2. अनुच्छेद 1(8) के अंतर्गत परिभाषित "उपाय" जो निवेशक अथवा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहमति से, जो किसी समय विशेष पर निवेशक को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता हो अथवा स्वामित्व रखता हो, इस करार के कार्यक्षेत्र से बाहर रहेगा।

3. संविदाकारी पक्षों के बीच कराधान पर किसी द्विपक्षीय करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार के प्रावधान कराधान से संबंधित किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 3
निवेश का संवर्धन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में निवेश किए जाने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए अनुकूल स्थितियां सृजित करेगा तथा ऐसे निवेशों को अपने कानूनों और नीति के अनुसार स्वीकृति देगा।

2. संविदाकारी पक्ष मेज़बान संविदाकारी पक्ष के कानूनों एवं विनियमों द्वारा यथानुमत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएं स्थापित, विकसित एवं निष्पादित करने के लिए निवेशकों द्वारा विधिक निकायों के निर्माण एवं स्थापना को प्रोत्साहित करेगा एवं सुसाध्य बनाएगा।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में ऐसे आवश्यक उपाय करेगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के लिए उपयुक्त सुविधाएं, प्रलोभन एवं अन्य प्रोत्साहन देने के लिए हों।

4. कोई भी संविदाकारी पक्ष, निवेशों से प्रत्यक्षत: जुड़े ऐसे माल एवं व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई बंधन नहीं डालेगा जो संविदाकारी पक्षों के बीच प्रवृत्त ऐसे परिवहन को शासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय करार के अधीन लाया ले जाया जा रहा हो।

अनुच्छेद 4
निवेशों का संरक्षण

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में इस रूप में पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा दी जाएगी जो मेज़बान संविदाकारी पक्ष के देशीय कानूनों, इस करार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हो। कोई भी संविदाकारी पक्ष निवेशों के प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान हेतु मनमाने या भेदभावपूर्ण उपायों से हानि नहीं पहुंचाएगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा उसके राज्यक्षेत्र में किए गए निवेशों से संबंधित या प्रत्यक्षत: प्रभावित करने वाले सभी कानूनों, विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक करने का प्रयास करेगा।

3. एक बार स्थापित हो जाने पर, निवेशों को मेज़बान संविदाकारी पक्ष में अतिरिक्त निष्पादन संबंधी अपेक्षाओं के अधीन नहीं लाया जाएगा जो निवेशों के प्रबंधन, रखरखाव, उपयोग, उपभोग या निपटान में अड़चन डालें या सीमित करें, जब तक कि ऐसी अपेक्षाएं जन-व्यवस्था, जन-स्वास्थ्य या पर्यावरणीय सरोकारों के लिए महत्वपूर्ण न मानी जाती हों और सामान्य प्रयोग हेतु कानून द्वारा प्रवृत्त न की जाती हों।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा उसके राज्यक्षेत्र में किए गए निवेशों के लिए अनुकूल माहौल बनाकर रखेगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को, उनके निवेशों के संबंध में दावों और अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ अपनी पसंद के न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और एजेंसियां तथा अधिनिर्णयन प्राधिकार रखने वाले अन्य सभी निकायों तथा व्यक्ति नियोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा।

5. निवेश के परिसमापन की स्थिति में, परिसमापन की प्राप्तियों को वही संरक्षण एवं व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो आरंभिक निवेश को दिया गया था, इनमें नीचे दिए गए अनुच्छेद 5 के आधार पर प्रदत्त व्यवहार भी शामिल है।

अनुच्छेद 5
निवेशों के साथ व्यवहार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा इसके राज्यक्षेत्र में लिए गए निवेशों के साथ सदैव उचित एवं साम्यपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगा। ऐसा व्यवहार ऐसे किसी व्यवहार से कम नहीं होगा जो वह अपने निवेशकों अथवा किसी तीसरे पक्ष के निवेशकों के निवेशों को प्रदान करता है, जो भी अधिक अनुकूल हो।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को उनके निवेशों की क्षतिपूर्ति, अंतरण, प्रबंधन, प्रयोग, उपभोग अथवा निपटान के बारे में ऐसा व्यवहार प्रदान करेगा जो उससे कम अनुकूल नहीं होगा जो वह अपने निवेशकों अथवा किसी

तीसरे पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को, जो अधिक अनुकूल हो, प्रदान करता है।

3. किसी द्विपक्षीय निवेश संधियों के प्रावधानों के बावजूद, जिस पर संविदाकारी पक्षों ने इस करार के प्रभावी होने से पहले या बाद में अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, यह अनुच्छेद प्रक्रियात्मक अथवा न्यायिक मामलों में लागू नहीं होगा।

4. तथापि, इस अनुच्छेद के प्रावधान निम्नलिखित से उत्पन्न किसी व्यवहार, वरीयता अथवा विशेषाधिकारों के लाभों को एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को प्रदान करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को बाध्य नहीं करेंगे:

(क) कोई सीमा शुल्क संघ, आर्थिक संघ, मुक्त व्यापार क्षेत्र, मौद्रिक संघ अथवा क्षेत्रीय आर्थिक प्रबंधन के अन्य रूप अथवा ऐसा ही कोई अंतर्राष्ट्रीय करार, जिसका कोई भी संविदाकारी पक्ष, अथवा पक्ष बन सकता है, अथवा

(ख) कोई अंतर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय करार अथवा कोई अन्य मामला जो पूर्णतया अथवा मुख्य रूप से कराधान से संबंधित है।

5. संविदाकारी पक्ष सामग्री, ऊर्जा, ईंधन अथवा उत्पादन के साधनों की खरीद, किसी भी प्रकार के परिवहन अथवा प्रचालन, अथवा अपने राज्यक्षेत्र के भीतर अथवा बाहर उत्पादों के विपणन के बारे में अपने निवेशकों अथवा तीसरे पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के पक्ष में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 6
क्षति अथवा हानि के लिए क्षतिपूर्ति

1. जब किसी भी एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को युद्ध अथवा अन्य सशस्त्र संघर्ष, क्रांति, राष्ट्रीय आपातस्थिति, विद्रोह, बगावत अथवा दंगों, अथवा इसी प्रकार की घटना के कारण दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में हानि होती है, तो उन्हें दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण, क्षतिपूर्ति, मुआवजा अथवा अन्य निपटान से संबंधित ऐसा व्यवहार मिलेगा जो उससे कम अनुकूल नहीं होगा जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपने निवेशकों को अथवा किसी तीसरे पक्ष के निवेशकों को, जो अधिक अनुकूल है, प्रदान किया जाता है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों, जिन्हें उस पैरा में उल्लिखित घटनाओं में निम्नलिखित के कारण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में हानि या क्षति हुई हो :

(क) उसकी सेनाओं या प्राधिकारियों द्वारा उनके निवेश या संपत्ति का अधिग्रहण किया गया हो; अथवा

(ख) उसकी सेनाओं या प्राधिकारियों द्वारा उनके निवेश या संपत्ति का विनाश जो युद्ध के कारण न हो, और परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य रहा हो;

को अधिग्रहण की अवधि के दौरान या संपत्ति के नाश के कारण हुए नुकसान व हानि की शीघ्रता से, पर्याप्त और प्रभावी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। परिणामी भुगतान मुक्त रूप से उपयोज्य मुद्रा और मुक्त रूप से अंतरणीय मुद्रा में बिना विलंब के किया जाएगा।

अनुच्छेद 7
स्वामित्वहरण

1. क) दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों के निवेशों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण, कब्जा नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपायों के अधीन नहीं लाया जाएगा जिनका प्रभाव दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण अथवा कब्जा करने के समकक्ष हो (जिन्हें इसके बाद "स्वामित्वहरण" कहा गया है), सिवाय तब जब यह उस संविदाकारी पक्ष की आंतरिक जरूरतों से संबंधित जनहित में हो और शीघ्र, पर्याप्त एवं प्रभावी क्षतिपूर्ति दिए जाने के प्रति हो तथा ऐसे उपाय कानून की प्रक्रिया के अनुसार भेदभाव रहित आधार पर किए जाएं।

(ख) ऐसी क्षतिपूर्ति स्वामित्वहरण से तत्काल पूर्व या आसन्न स्वामित्वहरण के सार्वजनिक होने की तिथि से तुरंत पूर्व, जो भी पहले हो (जिसे इसके बाद "मूल्यांकन तिथि" कहा गया है) स्वामित्वहरित निवेश के उचित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित एवं आकलित की जाएगी। ऐसी क्षतिपूर्ति में प्रचलित वाणिज्यिक बाजार दर पर ब्याज भी शामिल होगा। तथापि, यह किसी भी स्थिति में स्वामित्वहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक छः महीने की प्रचलित लिबोर दर से या समतुल्य से ब्याज कम नहीं होगा।

(ग) जहां ऊपर उल्लिखित उचित बाजार मूल्य को तत्परता से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, वहां मुआवजा निवेश की गई पूंजी, निवेश के स्वरूप और अवधि, प्रतिस्थापन मूल्य, बही मूल्य और साख आदि जैसे प्रासंगिक कारकों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साम्यपूर्ण सिद्धांतों कारणों के आधार पर नियत किया जाएगा। अंतत: निवेशक को तय की गई मुआवजा राशि का मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में शीघ्रता से भुगतान किया जाएगा और उन्हें बिना कोई विलंब किए इसे मुक्त रूप से अंतरित करने की अनुमति होगी।

2. इस अनुच्छेद के खण्ड (1) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में, पीड़ित निवेशक को स्वामित्वहरण करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानून के अंतर्गत अपने अथवा इसके निवेश के मूल्य निर्धारण और अपने अथवा इस मामले की उक्त पक्ष के न्यायिक अथवा अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी से समीक्षा कराने का अधिकार होगा। स्वामित्वहरण करने वाला संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगा कि समीक्षा तत्परता से कराई जाए।

3. जहां एक संविदाकारी पक्ष किसी कंपनी की आस्तियों का स्वामित्वहरण करता है जिसे इसके स्वयं के अधिकार क्षेत्र में प्रवृत्त अपने लागू नियम के अंतर्गत शामिल अथवा गठित किया गया है और जिसमें दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के शेयर, स्टाक, डिबेंचर्स अथवा हित के अन्य अधिकार हैं तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के खण्ड 1 के उपबंधों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है कि अन्य संविदाकारी पक्ष के ऐसे निवेशकों को जिनका ऐसे अधिकारों अथवा हित पर हक है, उनके द्वारा किए गए निवेश के लिए उचित और साम्यपूर्ण मुआवजा मिले।

4. "स्वामित्वहरण" एक संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए विनियामक उपायों अथवा हस्तक्षेपों पर भी लागू होगा जैसे कि निवेश बंद कराना अथवा ब्लाक करना, संपूर्ण निवेश अथवा आंशिक निवेश की अनिवार्य बिक्री, अथवा अन्य तुलनीय उपाय जिनका वस्तुत: समापहारी अथवा स्वामित्वहरण पर प्रभाव हो और इनका निवेशक पर उसके द्वारा किए गए निवेश से होने वाले पर्याप्त लाभों अथवा निपटान, स्वामित्व पर पूरी तरह अथवा अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है अथवा उनके द्वारा किए गए निवेश की कीमत की पूरी अथवा अधिकतम हानि अथवा नुकसान हो सकता है।

अनुच्छेद 8

निवेशों से संबंधित भुगतानों का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को देश में और इसके बाहर निवेश के संबंध में भुगतानों का अंतरण अनुमत करेगा; इसमें निम्नलिखित से संबंधित अंतरण भी शामिल हैं :

क) निवेश के अनुरक्षण, प्रबंधन और विकास हेतु प्रारंभिक पूंजी और किसी प्रकार की अतिरिक्त पूंजी;

ख) प्रतिलाभ;

ग) संविदा के तहत भुगतान जिसमें ऋण करार के अनुसरण में किए गए मूलधन और प्रतिभूत ब्याज की चुकौती शामिल हैं;

घ) अनुच्छेद 1 (4) में उल्लिखित रॉयल्टी और शुल्क;

ड.) शेयर सहित समग्र निवेश या इसके किसी भाग की बिक्री अथवा परिसमापन से प्राप्त प्रतिलाभ;

च) निवेश से संबंधित विदेश से नियुक्त कार्मिकों के अर्जन और अन्य परिलब्धियां;

छ) अनुच्छेद 6 और 7 के अनुसरण में क्षतिपूर्ति का भुगतान ;

ज) अनुच्छेद 9 में उल्लिखित भुगतान; और

झ) विवादों के निपटान के लिए भुगतान ।

2. इस अनुच्छेद के खंड (1) के तहत भुगतानों का अंतरण अविलंब या निर्बाध रूप से किया जाएगा और वस्तुओं के रूप में भुगतान के मामले को छोड़कर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा। ऐसे अपेक्षित अंतरण करने में विलंब होने पर प्रभावित निवेशक ऐसे विलंब की अवधि हेतु साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. अंतरण की जाने वाली मुद्रा हेतु अंतरण की तारीख को प्रचलित हाज़िर बाजार विनिमय दर पर अंतरण किए जाएंगे । विदेशी मुद्रा के लिए बाजार के अभाव में अंतर्निवेश के लिए हाल में लागू दर पर या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विनियमों के अनुसार निर्धारित विनिमय दर अथवा विशेष आहरण अधिकार में मुद्राओं के परिवर्तन हेतु विनिमय दर या अमरीकी डॉलर, जो भी निवेशकों के लिए अधिक पसंदीदा हो, लागू होगी।

अनुच्छेद 9
प्रतिस्थापन

1. यदि संविदाकारी पक्ष, इसके प्राधिकृत अभिकरण या कंपनी या कोई अन्य उद्यम जो उस संविदाकारी पक्ष में गठित या निगमित किया गया है, निवेशक को छोड़कर, गैर-वाणिज्यिक जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति अथवा गारंटी के तहत भुगतान करता है जो उसने दूसरे संविदाकारी पक्ष (मेजबान संविदाकारी पक्ष), के राज्यक्षेत्र में निवेश के संबंध में माना है या अन्यथा निवेशक के पूर्ण अथवा आंशिक चूक के परिणामस्वरूप ऐसे निवेश के अधिकारों और दावों को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त करता है, तो मेजबान संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित को मान्यता देगा :

   क) विधि या विधिक लेन-देन द्वारा क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे निवेश के परिणामस्वरूप सभी अधिकार और दावे का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण;

   ख) कि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष ऐसे अधिकारों और दावों का उपयोग करने का हकदार है और इसके पूर्ववर्ती या मूल निवेशक के बराबर ही प्रतिस्थापन की वजह से निवेश से संबंधित सभी दायित्वों को प्राप्त करेगा;

   ग) प्रतिस्थापित अधिकार या दावे ऐसे निवेशक के मूल अधिकारों और दावों से अधिक नहीं होंगे।

2. हर हालत में क्षतिपूरक पक्ष निम्नलिखित का हकदार होगा :

   क) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित हस्तांतरण की वजह से प्राप्त अधिकारों और दावों तथा प्राप्त देनदारियों के संबंध में समान व्यवहार; और

   ख) उन अधिकारों और दावों के अनुसरण में प्राप्त कोई भुगतान;

   क्योंकि मूल निवेशक संबंधित निवेश के संबंध में करार के आधार पर यह प्राप्त करने का हकदार है।

3. संबंधित निवेश के बारे में इस करार की वजह से जैसाकि मूल निवेशक हकदार था, इस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भी संविदाकारी पक्ष में प्रतिस्थापन केवल संविदाकारी पक्ष के अनुमोदन के बाद ही होगा, यदि ऐसे अनुमोदन

की आवश्यकता हो।

4. अनुच्छेद 8 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकारों और दावों के अनुसरण में क्षतिपूरक पक्ष द्वारा स्थानीय मुद्रा में प्राप्त कोई भुगतान मेजबान संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किए गए किसी व्यय को पूरा करने के प्रयोजन से क्षतिपूरक पक्ष को मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे।

अनुच्छेद 10
संविदाकारी पक्ष और निवेशक के बीच विवादों का निपटान

1. इस करार के तहत निवेश के संबंध में संविदाकारी पक्ष और दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा इस अनुच्छेद के अध्यधीन होगा।
2. भारत गणराज्य के संदर्भ में, इस अनुच्छेद में भारत के संविधान के अनुसार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार और/या राज्य सरकारों द्वारा विवाद निपटान के लिए किए गए उपाय शामिल होंगे।

3. संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में, इस अनुच्छेद में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघीय सरकार और/या अमीरात सदस्य की स्थानीय सरकारों द्वारा विवाद निपटान के लिए किए गए उपाय शामिल होंगे।

4. इस करार के तहत निवेश के संबंध में संविदाकारी पक्ष और दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक के बीच उत्पन्न किसी विवाद का यथासंभव, विवाद से संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटान किया जाएगा । इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए विवाद सूचना ("विवाद नोटिस") निवेशक द्वारा दिया जाएगा :

   क) विवादकर्ता निवेशक का नाम और पता जहां दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किए गए निवेश के संबंध में संविदाकारी पक्ष के निवेशक द्वारा दावा किया जाता है;
   ख) कथित रूप से उल्लंघन किये गए करार के उपयुक्त प्रावधान ;
   ग) दावे के मुद्दे और तथ्यगत आधार ; और
   घ) मांगी जाने वाली राहत और क्षतिपूर्ति हेतु किए गए दावे की अनुमानित राशि।

5. यदि विवाद की सूचना प्राप्त होने के छः माह की अवधि के भीतर ऐसे विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता तो इसे निम्नलिखित विवाद

निपटान तंत्र को भेजा जाएगा :

क) यदि दोनों संविदाकारी पक्ष वाशिंगटन अभिसमय के पक्षकार हैं, तो 18 मार्च 1965 को वाशिंगटन में ("वाशिंगटन अभिसमय") हस्ताक्षर हेतु राज्यों और अन्य राष्ट्रों के राष्ट्रिकों के बीच निवेश विवाद निपटान संबंधी अभिसमय के अनुसरण में स्थापित अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र; या

ख) विवाद होने के समय लागू अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के मध्यस्थता नियमों के तहत स्थापित माध्यस्थम न्यायाधिकरण; या

ग) जिसके राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, उस संविदाकारी पक्ष का सक्षम न्यायालय।

एक बार जब निवेशक इस अनुच्छेद के खंड 5 के उपखंड (क) से (ग) के तहत निर्धारित किसी प्रक्रिया के अधीन विवाद प्रस्तुत करता है, तो यह विकल्प निवेशक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. यदि संबंधित निवेशक इस अनुच्छेद के खंड 5 के उपखंड (क) या (ख) के अनुसार विवाद को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के पास ले जाना चाहता है, तो इसे माध्यस्थम के समक्ष विवाद ले जाने के आशय की लिखित सूचना कम से कम नब्बे (90) दिन पहले दूसरे संविदाकारी पक्ष को देनी होगी।

7. इस अनुच्छेद के खंड 5 के उपखंड (ख) के तहत विवाद उत्पन्न होने के समय लागू यूएनसीआईटीआरएएल के मध्यस्थता नियमों के अधीन स्थापित मध्यस्थम न्यायाधिकरण को विवाद प्रस्तुत किया जाता है तो यह निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन होगा:

क). माध्यस्थम न्यायाधिकरण में संगत विशेषज्ञता प्राप्त तीन मध्यस्थ होंगे, प्रत्येक विवादकर्ता पक्ष से एक-एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और तीसरा, जो अध्यक्ष होगा, की नियुक्ति सहमध्यस्थ की सहमति से होगी । इस अनुच्छेद के खंड (6) के तहत उल्लिखित नब्बे (90) दिन की सूचना अवधि समाप्त होने के साठ (60) दिन के भीतर दोनों पक्ष अपने संबंधित मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे । तीसरा मध्यस्थ किसी भी संविदाकारी पक्ष के देश का नागरिक नहीं होगा या उस देश का नागरिक नहीं होगा जिस देश से दोनों में से किसी संविदाकारी पक्ष का राजनयिक या वाणिज्यिक संबंध न हों।

ख) दोनों पक्षों द्वारा अपने मध्यस्थ नियुक्त करने की तारीख से साठ (60) दिनों के अंदर यदि तीसरा मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है, तो इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी निम्न क्रम से होंगे :

(i) अध्यक्ष; अथवा

(ii) उपाध्यक्ष; अथवा

(iii) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगला सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

इस उप-खंड के अधीन नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी भी संविदाकारी पक्ष का राष्ट्रिक नहीं होगा अथवा किसी ऐसे देश का राष्ट्रिक नहीं होगा जिसके साथ किसी भी संविदाकारी पक्ष के राजनयिक अथवा वाणिज्यिक संबंध नहीं हैं।

ग) माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपने पंचाट का आधार और कारण बताएगा।

घ) माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपना निर्णय इस करार के प्रावधानों और उस संविदाकारी पक्ष के संगत देशीय कानूनों के आधार पर करेगा जहां निवेश किया गया है। माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए, उस संविदाकारी पक्ष के संबंधित देशीय कानून और नीतियों का अच्छी तरह अनुपालन करेगा, जहां निवेश किया गया है।

ड.) न्यायाधिकरण अपना निर्णय बहुमत के आधार पर देगा। पंचाट अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

च) माध्यस्थम के पक्ष माध्यस्थम का खर्च वहन समान रूप से करेंगे, जिसमें मध्यस्थ शुल्क, व्यय, भत्ते और दूसरे खर्च शामिल हैं। प्रत्येक पक्ष माध्यस्थम कार्यवाही में अपने प्रतिनिधि का खर्च वहन करेगा।

8. यह अनुच्छेद निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होगा :

क) यदि संविदाकारी पक्ष और एक निवेशक के बीच लिखित करार या अनुबंध हो, तो विवाद का निपटान केवल उस करार या अनुबंध में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होगा; अथवा

ख) यदि उस तारीख से जब निवेशक को विचाराधीन विवाद के कारण के रूप में "उपाय" की जानकारी हुई अथवा यह जानकारी कि ऐसे "उपाय" के परिणामस्वरूप निवेश को पर्याप्त हानि या क्षति हुई है, पांच (5) वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी हो।

अनुच्छेद 11
संविदाकारी पक्षों के बीच विवाद का निपटान

1. संविदाकारी पक्ष, यथा संभव, इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग अथवा निष्पादन से संबंधित किसी विवाद को परामर्श या दूसरे राजनयिक माध्यमों से निपटाएंगे।

2. यदि किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध की तारीख से छः महीने के अंदर परामर्श या दूसरे राजनयिक माध्यमों से विवाद का निपटान नहीं होता है और जब तक कि संविदाकारी पक्ष अन्यथा लिखित में सहमत नहीं हो जाते, कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देकर इस अनुच्छेद के निम्न प्रावधानों के अनुसार विवाद के तदर्थ माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है।

3. माध्यस्थम न्यायाधिकरण निम्न प्रकार से गठित किया जाएगा; प्रत्येक संविदाकारी पक्ष एक सदस्य नियुक्त करेगा, और ये दोनों सदस्य किसी तीसरे राष्ट्र के ऐसे राष्ट्रिक हेतु सहमत होंगे, जिसके साथ दोनों संविदाकारी पक्षों के राजनयिक संबंध है; जिसे दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा गठित किए जाने वाले माध्यस्थम न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे सदस्य उस तारीख से, जब किसी भी संविदाकारी पक्ष ने दूसरे संविदाकारी पक्ष को सूचित किया हो कि वह विवाद को माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करना चाहता है, दो महीने के अंदर नियुक्त किए जाएंगे, और अध्यक्ष उस तिथि से चार महीने के अंदर नियुक्त किए जाएंगे।

4. यदि ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट अवधि का पालन नहीं किया जाता है, तो कोई भी संविदाकारी पक्ष अन्य व्यवस्था के न होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसी भी संविदाकारी पक्ष को राष्ट्रिक हो और यदि उसे ऐसा कार्य करने से अन्यथा रोका जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष को आवश्यक नियुक्तियां करने का अनुरोध किया जा सकता है।

5. माध्यस्थम न्यायाधिकरण अपना निर्णय बहुमत द्वारा करेगा। ऐसा निर्णय इस करार के प्रावधानों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रयोज्य नियमों के अनुसार लिया जाएगा और अंतिम होगा तथा दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष माध्यस्थम न्यायाधिकरण के अपने सदस्य तथा माध्यस्थम कार्यवाहियों में उनके प्रतिनिधित्व का खर्च स्वयं वहन करेगा। अध्यक्ष का खर्च तथा कोई अन्य खर्च दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। तथापि, न्यायाधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समस्त खर्च का बड़ा भाग दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी एक के द्वारा वहन किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में न्यायाधिकरण अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

अनुच्छेद 12
कार्मिक का प्रवेश और निवास

किसी भी संविदाकारी पक्ष के निवेशकों को, राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बिना, अपनी पसंद के शीर्ष प्रबंधकीय एवं तकनीकी कार्मिक नियोजित करने की अनुमति दी जाएगी और प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संबंध में अपने कानूनों एवं विनियमों द्वारा यथानुमत सीमा तक सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, देशजात व्यक्ति के प्रवेश, निवास और कार्य से संबंधित अपने कानूनों एवं विनियमों के अधीन, दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों और ऐसे निवेशकों द्वारा नियोजित प्रमुख कार्मिकों, जिनमें पारिवारिक सदस्य शामिल हैं, के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ताकि वे निवेश से जुड़े कार्यकलाप करने के लिए उसके राज्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकें, बाहर जा सकें और वहां रह सकें।

अनुच्छेद 13
अन्य नियमों का प्रयोग

यदि किसी भी संविदाकारी पक्ष के कानूनों के उपबंध अथवा वर्तमान में मौजूद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन बाध्यताओं या वर्तमान करार के अलावा दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच इसके बाद स्थापित उपबंधों में ऐसे नियम शामिल हों, भले ही वे सामान्य या विशिष्ट हों जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों और संबद्ध कार्यकलाप के लिए वर्तमान करार द्वारा प्रदत्त व्यवहार से अधिक अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं तो ऐसे नियम उस सीमा तक, जहां तक वे अधिक अनुकूल हैं, वर्तमान करार पर अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद 14
प्रयोज्य कानून

1. इस करार के अन्तर्गत अन्यथा किए गए उपबंधों के अतिरिक्त, किये गये समस्त निवेश उस संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त कानूनों द्वारा शासित होंगे जहां ऐसे निवेश किए जाते हैं।

2. इस करार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेज़बान संविदाकारी पक्ष को रोगों एवं कीटों की रोकथाम के विशिष्ट प्रयोजनार्थ अत्यधिक आपातिक परिस्थितियों में सामान्यतया भेदभाव रहित आधार पर प्रयोज्य अपने कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने से बाधित करे।

अनुच्छेद 15
संशोधन

यह करार किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर कभी भी संशोधित किया जा सकेगा और अनुरोध करने वाला संविदाकारी पक्ष लिखित में वे कारण बताते हुए अनुरोध करेगा जिनके आधार पर संशोधन किया जाना है।

अनुच्छेद 16
परामर्श

कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उठाए विवाद के कारण के रूप में किसी उपाय के संबंध में अथवा इस करार की व्याख्या, प्रयोग और संशोधन से जुड़े किसी भी मुद्दे पर दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है। दूसरा संविदाकारी पक्ष तत्काल उत्तर देगा।

अनुच्छेद 17
प्रवृत्त होना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा कि इस करार के प्रवृत्त होने की इसकी सांविधानिक अपेक्षाएं पूर्ण कर ली गई हैं और अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के बाद तीसवें दिन करार प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 18
समयावधि और समाप्ति

यह करार दस (10) वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा। उस अवधि में, और 01.01.2016 के बाद नहीं, दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार की शर्तों पर पुनर्विचार आरंभ करेंगे और उचित समयावधि में संशोधित या नया करार निष्पादित करने का प्रयास करेंगे। जब दोनों संविदाकारी पक्ष संशोधित अथवा नए करार पर सहमत हो जाएंगे, तो वह करार उसके प्रवृत्त होने की तिथि से वर्तमान करार पर अभिभावी होगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

के समतुल्य, 12 दिसम्बर, 2013 को अरबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियां तैयार की गई हैं, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत सरकार की ओर से

(नमो नारायण मीणा)
राज्य मंत्री (ई एण्ड एफ एस)

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से

(ओबैद हुमैद अल तायर)
वित्त राज्य मंत्री